


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक: एफ-1(2)एफडी(रूल्स)06 पार्ट-1 जयपुर, दिनांक: 11 जून 2014, 07.08.2014 एवं राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति क्रमांक: प. 7 (24)शिक्षा-2/2020 जयपुर, दिनांक: 02.06.2020 की अनुपालना में निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) द्वारा परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परीवीक्षाकाल की अवधि में (90 दिवस के अतिरिक्त) उनके नाम के सामने अंकित अवधि के उपभोग किये गये अवकाशों का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्रं.सं.	नाम कर्मचारी मय पदस्थापन स्थान (राजमावि)	लिये गये अवकाश का विवरण	दिवसों की संख्या	कुल दिवस
01.	भगवानाराम गोदारा, व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) रा.उ.मा.वि. केलू (मसूदा) अजमेर	14.11.2017 से 15.11.2017 तक 22.11.2017 से 23.11.2017 तक 16.12.2017	02 02 01	कुल 05 दिनों का 'असाधारण अवकाश'

यदि कार्मिक को सम्पूर्ण 'असाधारण अवकाश' अवधि 95 दिवस के वेतन का भुगतान कर दिया गया है तो संबंधित संस्था प्रधान उसकी वसूली कर राजकोष में जमा करवाये एवं उक्त अवकाश अवधि के लेखे का कार्मिक की 'सेवा-पुस्तिका' में इन्द्राज करें। 'वित्त (नियम) विभाग' के 'परिपत्र' दिनांक 11.06.2014 एवं संशोधित 'परिपत्र' दिनांक 11.08.2014 के प्रावधानानुसार कार्मिक के परीवीक्षाकाल में 65 दिवस की वृद्धि होगी तथा बड़ी हुई अवधि में और 'असाधारण अवकाश' लेने पर परीवीक्षाकाल में तदनुसार उतनी ही वृद्धि होगी।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.


निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:
25/04/2020

क्रमांक: शिविरा-मा/संस्था/सी-3/भौगकृ/प्रो.द्रे./अवकाश/2015/2020-21/499

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उपशासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) ।
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-मुख्यालय) ।
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) ।
6. संबंधित प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केलू (मसूदा) अजमेर ।
7. संबंधित कार्मिक श्री भगवानाराम गोदारा, व्याख्याता (भौतिक), राजमावि केलू (मसूदा) अजमेर ।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर